एस0 के0 शुक्ल
कुलसचिव

प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय
प्रयागराज (उ0 प्र0) भारत
ई-मेलः registrarasu@gmail.com

समय बद्ध

संख्या : पीआरएसयूए/सम्बद्धता/2021-237

दिनांक : ~~18~~ 13 अगस्त 2021

सेवा में,

प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय
से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के
प्रबन्धक / प्राचार्य

विषय : रिट याचिका संख्या 61859/2012 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों तथा माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2 (650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त अंकित रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20-12-2012 के सन्दर्भ में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 जिसकी छायाप्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2. शासनादेश दिनांक 30 अप्रैल 2013 में निर्देशित किया गया है कि महाविद्यालय को किसी भी पाठ्यक्रम में सम्बद्धता दिये जाने एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ किए जाने के पूर्व संस्था में विश्वविद्यालय से अर्हताकारी योग्य शिक्षक अनुमोदित एवं तैनात हों। यदि किसी महाविद्यालय में मानक के अनुसार अर्हताधारी योग्य शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है तो उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें।

उक्त क्रम में समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि शिक्षकों के अनुमोदन एवं तैनाती के सम्बन्ध में समुचित प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जिन संस्थाओं में शिक्षक अनुमोदित एवं तैनात नहीं हैं उन संस्थाओं की सम्बद्धता बाधित होगी।

3. जिन संस्थाओं में विश्वविद्यालय से अनुमोदित शिक्षक तैनात हैं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि 18 अगस्त 2021 तक प्रत्येक शिक्षक से निम्नलिखित प्रारूप पर रुपया 10/- (रुपया दस मात्र) के नान-जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर प्रबन्धक व शिक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर व दोनों के फोटोयुक्त एक शपथ पत्र उपलब्ध करायें।

प्रारूप

मैं ----------(शिक्षक का नाम)

वर्ष----------से----------

----------(महाविद्यालय का नाम) में----------(पद नाम) के रूप में नियमित रूप से कार्यरत् हूँ तथा मुझे प्रतिमाह रु0 ----------वेतन महाविद्यालय द्वारा मेरे बैंक खाते में भुगतान किया जाता है।

तिथि :

हस्ताक्षर
शिक्षक का नाम :
पदनाम
मोबाइल नम्बर :

Scanned by CamScanner

मैं ----------(नाम) प्रबन्धक ---------- (महाविद्यालय का नाम) सत्यनिष्ठा से शपथपूर्वक पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त कथन पूर्णतया सत्य हैं।

हस्ताक्षर

प्रबन्धक का नाम -

मोबाइल नम्बर -

ई-मेल आई.डी. -

4. जिन महाविद्यालयों से दिनांक 18 अगस्त 2020 तक महाविद्यालय में कार्यरत उक्त समस्त शिक्षकों से शपथ पत्र प्राप्त नहीं होंगे उन महाविद्यालयों में प्रवेश प्रतिबन्धित करने पर तथा सम्बद्धता समाप्त करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5. विश्वविद्यालय के समक्ष ऐसे प्रकरण आये हैं जिनमें बिना सम्बद्धता के महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश लिया गया। यह कार्य अवैध है। अतः निर्देशित किया जाता है कि किसी भी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों का प्रवेश उसी दशा में लिया जाये जबकि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा 37 के अनुसार महाविद्यालय को पाठ्यक्रम संचालन हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हो।

6. यह भी निर्देशित किया जाता है कि सभी महाविद्यालय अपने लैटर पैड पर प्रबन्धक तथा प्राचार्य के अद्यतन् मोबाइल नम्बर, ई-मेल आई.डी. तथा महाविद्यालय की वेबसाइट का एड्रेस आवश्यक रूप से अंकित करायें।

उक्त पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

संलग्नक : यथोपरि।

(एस.के. शुक्ल)
कुल सचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय श्री राज्यपाल/राज्य विश्वविद्यालयों के माननीय कुलाधिपति राज भवन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग-6) उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग-2) उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को शासन के पत्र संख्या 522/सत्तर - 2-2013-2 (650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 के अनुपालन में।
4. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग-1) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री जी।
6. निजी सचिव, कुलपति जी।
7. गार्ड फाइल।

(एस.के. शुक्ल)
कुल सचिव

Scanned by CamScanner